



हम प्राची का नाम सुन्द किया जाना उचित मानते हैं।  
अतः प्राची को प्राची स्वीकार किया जाकर  
तहसीलदार, गुमानर को आदेशित किया जाता है  
कि आ.सं. नं. 663/156, 665/174, 667/206, 669/243,  
671/387, 673/52, 675/520, 677/521, 679/547,  
681/78, 165 नोके ग्राम सुहरी तह. गुमानर में  
प्राची के गलत नाम बल्लोसिंह पुत्र रामा जाति  
गुजर के स्थान पर बालसिंह पुत्र रामा जाति  
गुजर दुखस्त राजस्व रिपोर्ट किया जावे।

पत्रावली फ़ैसल अुमार होकर नंबर में कम  
हो. बाद तहसील जाफ़ा दाखिल दफ़्तर हो।

ह  
सुमान (मन्तूर) दफ़्तर